


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012 दिनांक-27.03.17 में उनके नाम के सम्मुख निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-


क्रम सं.	नाम आशार्थी मय पदस्थापन स्थान	आदेश क्रम संख्या	वांछित संशोधन
1	विद्यावती यादव, व्याख्याता (गृह विज्ञान) रा.बा.उ.मा.वि. दयानन्द मार्ग, बीकानेर	217	पूर्व में मुद्रित जन्म तिथि 12.04.62 के स्थान पर जन्म तिथि 12.07.62 पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक:- 26.4.17

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/ 2012 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 5 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- 6 संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित प्राध्यापक द्वारा संस्था प्रधान।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प.20) शिक्षा-2/2013 दिनांक 6.11.2015 एवं दिनांक 22.08.16 की पालना में दिनांक 31.07.2016 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)की उनके तदर्थ/अस्थाई रूप से व्याख्याता पद पर पदस्थापन अवधि से उन्हें नियमित डीपीसी/पीएससी-चयन अथवा सेवा निवृत्ति होने तक की अवधि की कार्योत्तर अभिवृद्धि राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में एदत द्वारा जारी की जाती है।

कस	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन (सर्वश्री/श्रीमती/सूश्री)	विषय	जन्मतिथि	तदर्थ पदोन्नति आदेश क्रमांक व दिनांक	डीपीसी/आरपीएससी वर्ष	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मोती लाल शर्मा, राउमावि, राजगढ़, चुरू	अंग्रेजी	22.08.1948	शिविरा/संस्था/सी-1/10901/89-90 दिनांक-04.12.89	1997-98	31.08.2008


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012/596

दिनांक- 26.4.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 शासन उपसचिव, (शिक्षा ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग
- 4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)
- 5 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर